



प्रेषक,

आनन्द कुमार राय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 21 फरवरी, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद लखनऊ में निशातगंज पुलिस चौकी के सामने स्थित ट्रांजिट हॉस्टल परिसर में 03 नग महानिदेशक आवास एवं 16 नग अधिकारी आवास के भवन निर्माण हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

.....

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशालय के पत्र संख्या-7/5/17फ/नि0नि0अ0/2025-26, दिनांक 15.02.2026 तथा शासनादेश संख्या-217/2024/आई0/86967/2024-5-6099/487/2023-6, दिनांक 05.11.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 05.11.2024 द्वारा धनराशि रुपये 1173.65 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करके हुए रुपये 500.00 लाख चयनित कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड को अवमुक्त किया गया है।

3. इस सम्बन्ध में सझे यह निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में आपके उपरोक्त पत्र दिनांक 15.02.2026 द्वारा उपसब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद लखनऊ के ट्रांजिट हॉस्टल, निशातगंज के परिसर में 03 नग महानिदेशक आवास एवं 16 नग अधिकारी आवास के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत लागत रुपये 1173.65 लाख के सापेक्ष आय-व्ययक में उपलब्ध अवशेष धनराशि रुपये 170.82 लाख अवमुक्त किये जाने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. पत्र (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी0-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 तथा शासनादेश संख्या-217/2024/आई0/86967/2024-5-6099/487/2023-6, दिनांक 05.11.2024 में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. प्रश्नगत स्वीकृति हेतु वित्तीय नियमों, शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गयी है।
4. प्रायोजना की मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में उल्लिखित सुसंगत शर्त/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।
5. प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु समय-समय पर आवंटित धनराशि पर कार्यदायी संस्था द्वारा जो ब्याज अर्जित किया गया है, उसे राजकोष में तत्काल जमा कराना सुनिश्चित किया जाये।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

6. प्रश्नगत कार्य प्रत्येक दशा में निर्धारित समयावधि में पूर्ण करा लिया जायेगा।
7. प्रायोजना के कार्य यथाशीघ्र पुनरीक्षित लागत की सीमा में पूर्ण कर लिए जाएंगे।
8. कार्यदायी संस्था को आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सैंटेज देय होगा।
9. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
4. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,70,82,000 (रुपये एक करोड़ सत्तर लाख बयासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 032 लेखा शीर्षक 4216017000300** जनपद लखनऊ में अधिकारी आवास का निर्माण **मानक मद-24-वृहत्** निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/एस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
आनन्द कुमार राय
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजिए:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. निदेशक (चिकित्सा उपचार/नियोजन एवं बजट), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. अधीक्षण अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
8. मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
10. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कुमार राय
संयुक्त सचिव।